

अनुदान संख्या 7 - औषध विभाग
GRANT No. 7 - DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged -			
पूरक	Supplementary	1,81,00	1,80,00	-1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,00
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	2238,85,00	2263,25,00	2043,03,88
पूरक	Supplementary	24,40,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-220,21,12
				220,21,11
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	5,30,00	5,26,00	-4,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			4,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, समग्र बचतें (₹22021.12 लाख) दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹2440.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थी और कुल स्वीकृत प्रावधान का लगभग 1 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹22021.12 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹2440.00 lakhs obtained in December, 2022 and March, 2023 and constituted 10 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

अधिक व्यय+
Excess+
बचत-
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	4220.00			
पू.	S.	271.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	-4490.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	217809.00			
पू.	S.	2169.00	202598.95	202599.95	+1.00
पु.	R.	-17379.05			

(I) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹4491.00 लाख का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹3891.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" - "रासायन और औषध उद्योग - औषधि और भेषज" के तहत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :-

(I) Provision of ₹4491.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹3891.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Chemical and Pharmaceuticals Industries - Drug and Pharmaceutical" - under the following heads: -

(का) "नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर)" - ₹3171.00 लाख (₹271.00 लाख के पूरक अनुदान सहित); और

(A) "National Institute of Pharmaceutical Education & Research (NIPER)" - ₹3171.00 lakhs (including supplementary grant of ₹271.00 lakhs); and

(खा) "जन औषधि योजना" - ₹720.00 लाख।

(B) "Jan Aushadhi Scheme" - ₹720.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" - "रासायन और औषध उद्योग" के अंतर्गत - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(II) Under Major Head "2852" - "Chemical and Pharmaceutical Industries" - savings occurred under the following heads: -

(का) “उद्योगों को सहायता – उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाएं” – ₹20401.60 लाख की बचत (₹162900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि की उपलब्धता के कारण हुई।

(खा) “औषधि और भेषज – भेषज उद्योग का विकास” – ₹6830.45 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष में ₹380.25 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 63 प्रतिशत थी।

2. उपरोक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹9867.02 लाख) प्रयुक्त हो गई, जैसा कि मुख्य शीर्ष “2852” – “रसायन और औषध निर्माण उद्योग” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹2440.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित किया गया था :-

(I) “औषधि और भेषज”

(का) “नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च” – ₹6343.02 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6344.02 लाख हुआ था।

(खा) “जन औषधि योजना” – ₹3124.00 लाख।

(II) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” – “राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान” – ₹400.00 लाख।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, चार शीर्षों के तहत ₹4.00 लाख का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः अभ्यर्पित किया गया।

(A) “Assistance to Industries - Production Linked Incentive Schemes” - saving of ₹20401.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹162900.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(B) “Drugs and Pharmaceuticals - Development of Pharmaceuticals Industry” - saving of ₹6830.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(III) Under one head saving of ₹380.25 lakhs occurred constituting 63 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹9867.02 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹2440.00 lakhs under Major Head “2852” - “Chemical and Pharmaceutical Industries” - under the following heads: -

(I) “Drugs and Pharmaceuticals” -

(A) “National Institute of Pharmaceutical Education & Research” - ₹6343.02 lakhs. Actual excess, however, was ₹6344.02 lakhs.

(B) “Jan Aushadhi Scheme” - ₹3124.00 lakhs.

(II) “Special Component Plan for Scheduled Castes” - “National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)” - ₹400.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, provision of ₹4.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads and was eventually surrendered.